यूनियन आफ इंडिया व अन्य

बनाम

बलवंत सिंह और अन्य।

(सिविल अपील सं 2019 का 6981-6982) सितंबर 03, 2019

[माननीय न्यायमूर्तिगण आर.एफ. नरिमन और सूर्याकांत]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956-एस. 3 जी (5)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस. 25-भारत संघ ने तर्क दिया कि आपेक्षित निर्णय मे त्रुटि का सामना करना पड़ा-यह तर्क दिया गया था कि आपेक्षित निर्णय में , मादिशेट्टी बाला रामुल (डी) का मामला एलआर के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिकारी का पालन किया गया था , जो केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर लागू होता था और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम पर लागू नहीं किया जा सकता --माना : भारत संघ सही है-भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण द्वारा जो निर्णय दिया गया वह सरकार की ओर से एक प्रस्ताव की प्रकृति में है और इसलिए सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है -जबकि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की योजना जैसा कि एस . 3 जी (5) द्वारा बताया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि का निर्धारण, दोनों पक्षों मे से किसी एक के आवेदन पर, किया जा सकता है यदि यह इतना स्वीकार्य नहीं है , तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है -इस प्रकार, मामलों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत तय करने के लिए भेजा गया है। उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं

मदिशेट्टी बाला रामुल (डी) बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी [2007] 3 आरसीआर (सिविल) 455 भेजा गया

केस कानून संदर्भ (2007) 3 आर.सी.आर.(सिविल) 455 पैरा 2 मे संदर्भित

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6981-6982/2019

के साथ सिविल अपील सं 2019 का 6983-6984

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

माननीय उच्च न्यायालाय पंजाब व हरियाणा स्थित चण्डीगढ के एफ.ए.ओ. नं 10168 सन् 2014 मे निर्णय और आदेश दिनांकित 3.2.2016 और आर.ए-सी.आर. नं 234 – सी.आई.आई. सन् 2016(ओ. और एम.) मे आदेश दिनांकित 9.11.16.

78 भारत सरकार व अन्य बनाम बलवंत सिंह और अन्य

मुकुल रोहतगी, नरेंद्र हुड्डा, अमित सिब्बल, नीरज कुमार जैन, सीनियर अधिवक्ता, आलोक सांगवान, देवाशीष भारुका, रघुजीत एस. मदन, दमनजीत सिंह मोंगा, सुश्री अंकुर बेरी, सनी कादियान यशवीर सिंह बलहारा, रवि भारुका, मयंक शर्मा, राजेंद्र बेनीवाल, शशि पाल लालेर, आरएस मन्हास, सोनित सिंहमार, रवि पंवार, शशि पाल लालेर, आरएस मन्हास, सोनित सिंहमार, रवि पंवार, पीएन पुरी, सुश्री रीता दीवान पुरी, अभिषेक पुरी, परमजीत राजपूत, हरीश महाजन, त्रिपुरारी रे, बलवंत सिंह बिल्लौरिया, परवीन कुमार, विजय प्रताप सिंह, विवेकानंद सिंह, अनिरुद्ध रे, सुश्री शिल्पा सिंह, गौरव अग्रवाल, यशराज सिंह देवड़ा, श्याम अग्रवाल, विनय त्रिपाठी, ऐश्वर्या विक्रम, सुश्री सोनल मशांकर, सुरिंदर सिंह, सतबीर सिंह राठौर, अरविंद गुप्ता, मनोज पुंडीर, नवनीत सिंह, सलाहकार उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति आर.एफ. नरिमन द्वारा दिया गया था।
छुट्टी स्वीकृत ।

1. भारत सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने यह बहस की कि इस दोनों मामलों में पारित आक्षेपित निर्णय में एक स्पष्ट त्रुटि है, कि इस न्यायालय का मदीशेट्टी बाला रामुल (डी) द्वारा एल.आर.एस. बनाम बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, 2007 (3) आरसीआर (सिविल) 455 मे पारित आदेश का पालन किया गया , जो कि यह निर्णय केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर लागू होता है और जिसे धारा 3 जी (5) में शामिल होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम पर लागू नहीं किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में निहित योजना से बिल्कुल अलग और अलग योजना।

2. विपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल , और वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार जैन, इस स्थिति को गंभीरता से बहस करने मे सक्षम नहीं थे । हालाँकि इन मामलों में काफी देरी हुई है , हम पाते हैं कि इस

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायालय द्वारा इसे माफ कर दिया गया है। मेसर्स गौरव अग्रवाल और नीरज कुमार जैन ने यह भी बताया कि एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी जो केवल दो प्रकार की भूमि तक ही सीमित थी और जिस बिंदु पर श्री रोहतगी ने हमारे सामने तर्क दिया है, उस समीक्षा याचिका में आग्रह नहीं किया गया था।

3. श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान वकील और श्री नीरज कुमार जैन, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, इस स्थिति का गंभीरता से खंडन करने में सक्षम नहीं थे। हालाँकि इन मामलों में काफी देरी हुई है , हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इसे माफ कर दिया गया है। गौरव अग्रवाल और नीरज कुमार जैन ने यह भी बताया कि एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी जो केवल दो प्रकार की भूमि तक ही सीमित थी और जिस बिंदु पर श्री रोहतगी ने हमारे सामने तर्क दिया है, उस समीक्षा याचिका में आग्रह नहीं किया गया था।

4. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद , हमारा विचार है कि समीक्षा याचिका पर आधारित तर्कों से हमें और अधिक देरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिनांक 03.02.2016 के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है जिसमें यह बिंदु लिया गया है . इसके अलावा, श्री रोहतगी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 12 एस.सी.आर. यह इंगित करने में सही है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय सरकार की ओर से एक प्रस्ताव की प्रकृति में है और इसलिए सरकार द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता है - अधिनियम की धारा 25 देखें। दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की योजना, जैसा कि धारा 3जी (5) द्वारा बताया गया है, यह है कि उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि, किसी भी पक्ष के आवेदन पर, यदि यह इतनी स्वीकार्य नहीं है तो फिर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. मामले के इस दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि इन दोनों मामलों में दिए गए निर्णय गलत हैं और इसलिए इन्हें रद्द किया जाता है। हम इन मामलों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम के तहत धारा 37 क्षेत्राधिकार के तहत तय करने के लिए भेजते हैं। उपरोक्त शर्तों के तहत अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

6. हमें बताया गया है कि इस फैसले पर बड़ी संख्या में मामले निर्भर हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए एक उचित पीठ का गठन किया जाए।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"